कम्प्यूटर परि० सं० - 15/6019 दिनांक 17-06-2015

परिपत्र संख्या -न्याय-2-वापसी /2015-16// 249 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0 प्र0
(वाद अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक ::28 मई 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0) वा0क0
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

रिफण्ड योग्य धनराशि का समय से भुगतान किये जाने के संबंध में परिपत्र संख्या-1011049 दिनांक 27-9-2010, परिपत्र संख्या- 1213012 दिनांक 22-05-2012, परिपत्र संख्या-485 दिनांक 10-05-2013 तथा निर्यातकों के संबंध में प्रोविजनल रिफण्ड से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु परिपत्र संख्या-1339 दिनांक 06-10-13 से समय-समय पर विस्तृत निर्देश निर्गत किये जाने के उपरान्त भी रिफण्ड योग्य धनराशि का समय से भुगतान न किये जाने के संबंध में मुख्यालय पर निरन्तर प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहें है , जिनके परीक्षण पर व्यापार कर अधिनियम -1948 के अन्तर्गत पारित आदेशों एवं उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008, दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत पारित आदेशों से देय रिफण्ड के मामले लम्बित होना पाया गया है। दोनों ही अधिनियमों में रिफण्ड हेतु निर्धारित समयावधि में रिफण्ड का भुगतान न किये जाने की दशा में ब्याज देयता की विधिक व्यवस्था है, जिससे राजस्व क्षति तो होती ही है, कार्यवाही लम्बित रहने की दशा में शासन एवं विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत: यह आवश्यक है कि रिफण्ड से संबंधित प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

रिफण्ड के मामलों में प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण पर यह भी पाया गया कि वैट अधिनियम की धारा-15(4) के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आई.टी.सी. एवं टी.डी.एस. के सत्यापन के आधार पर रिफण्ड लम्बित रखे जा रहे है। धारा-15(4) के प्राविधानों के अनुसार यदि व्यापारी ने सभी कर अवधि के रिटर्न दाखिल कर दिये है तथा अंतिम कर अवधि के रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है एवं उसे कैरीफारवर्ड नहीं किया गया है तो रिटर्न दाखिल होने के तीस दिन के अंदर वापसी देय हो जाती है।

-----2

अत: निर्देश दिए जाते है कि अधिकारी पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार समयबद्धता से वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड दिया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/-

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/अपील) वाणिज्य कर।
2. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/कारपोरेट) वाणिज्य कर।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी, मुख्यालय।
4. मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/सचलदल)वाणिज्य कर।
6. समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/सचलदल)वाणिज्य कर।

S. Tripathi

(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ